राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हरिशंकर बनाम राजकुमार 2046/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 2 लगा. 4 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
18/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/10/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 241, 789, 791, 837, 188, 230, 231, 406 भूमि वाके ग्राम झोडीन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे व बैचान नही किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर सीधे ही अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है, जो विधिक प्रक्रियाओ के विपरित प्रतीत होता है, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया साबित करने में असफल रहे है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 06/10/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	